पुलिस आदेश सं0 209 / 88

विषय :- प्रत्येक जिला में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से 2-2 पद मुठभेड़ अथवा कर्त्तव्य में मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालीग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में ।

सरकार की सहमति से प्रत्येक जिला में स्वीकृत आरक्षी बल के दो-दो पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाता है । इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्त निम्नलिखित होंगी :-

(1) इन पदों पर 12-18 वर्ष के बच्चों की निम्न-श्रेणीवार नियुक्ति की जायेगी ।

(2) उन आरक्षीकर्मियों के बच्चों की नियुक्ति, जिनके पिता/माता निम्नलिखित दायित्व या कर्त्तव्य-परायणता में अपना जीवन अर्पित किए हैं, की जायेगी :-

1. मुठभेड़ में
2. अपराधियों को गिरफ्तार करने के क्रम में
3. अनुसंधान के क्रम में
4. सरकारी कार्य हेतु गन्तव्य स्थान पर जाने के क्रम में
5. सेवाकाल में स्वाभाविक मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप ।

2- उपरोक्त श्रेणी में क्रमवार प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं 5 लगातार श्रेणी तक नियुक्ति की जायेगी । एक ही श्रेणी के कई बच्चों के आवेदनों में जिसका आवेदन पहले प्राप्त हुआ हो ~~उसको~~ उसीको पहला अवसर दिया जायेगा । जो भी आवेदन प्राप्त होंगे, तिथिवार रखे जायेंगे तथा प्राप्ति की तिथि का अंकन एवं हस्ताक्षर राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा कर "ए" रजिस्टर में रिकार्ड होगा और आवेदन रजिस्टर के साथ "बी" फाईल में रखा जाएगा ।

(3) नियुक्त बच्चों को आरक्षी के वर्तमान निर्धारित न्यूनतम वेतन का आधा देय होगा । कोई वार्षिक बढ़ोत्तरी देय नहीं होगी ।

(4) बच्चों के पढ़ने की समुचित व्यवस्था एवं अच्छे स्कूल में नामांकन की व्यवस्था आरक्षी अधीक्षक करेंगे तथा उसके पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह आरक्षी अधीक्षक स्वयं करेंगे । वेतन के पैसे से ही पुस्तक इत्यादि पर व्यय किया जाएगा ।

(5) नियुक्त बच्चों में से जो पढ़ाई के वार्षिक परीक्षा में असफल होंगे उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।

क्र०२

(6) पूर्वाह्न में बच्चे स्कूल जायेंगे [illegible] अपराह्न में 4 बजे से 5.30 बजे तक आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में संचिकाओं का लाना; ले जाना जैसे हल्का-फुल्का कार्य करेंगे । इन्हें किसी भी दीगर घरेलू कार्यों में नहीं लगाया जाएगा ।

(7) इस प्रकार नियुक्त बच्चों की सेवा, सरकारी सेवा के लिये निर्धारित आयु 19 वर्ष, प्राप्त होते ही समाप्त कर दी जायेगी ।

(8) निर्धारित आयु प्राप्त करने के उपरान्त यदि बच्चे आरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हों तथा निर्धारित शारीरिक माप और शैक्षणिक योग्यता रखते हों तो इनकी नियुक्ति आरक्षी पद पर कर ली जायेगी ।

(8) क्षेत्रीय उप०म०नि०/प्रक्षेत्रीय म०नि० का दायित्व होगा कि जिलों के भ्रमण एवं निरीक्षण के क्रम में ऐसे नियुक्त बच्चों के शिक्षा की प्रगति एवं रख-रखाव की समीक्षा करेंगे तथा उन बच्चों का भरसक साक्षात्कार भी करेंगे ।

(9) सभी नियुक्त बच्चों को दो हाफपैण्ट, दो कमीज, दो मोजा, दो कपड़े का जूता प्रति वर्ष . कल्याण कोष से दिया जायेगा ।

(ह०) 11/8/88

(ज० मो० कुरेशी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना ।

ज्ञापांक ६५६८ /पी2
4/3-38-271-88
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना,
पटना, दिनांक ११ अगस्त, 1988 ।

प्रतिलिपि:- 1- सभी आरक्षी अधीक्षक (रेल सहित)
2- सभी आरक्षी उप-महानिरीक्षक (रेल सहित)
3- सभी आरक्षी महानिरीक्षक (रेल सहित)
4- म०नि०, अप०अनु०विभाग/विशेष शाखा/सशस्त्र बल
को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

(ह०) 11/8/88

(सारंगधर सिन्हा)
आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना ।